राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमाक प.14(18) कार्मिक क–2/96(पार्ट)   जयपुर दिनांक 16 JUL 2012

1 समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्र0 शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्रादेश

विषयः– राजस्थान निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) के नियम, 2011 के तहत रोस्टर बिन्दुओं के संबंध में।

समस्त विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों को अवगत करवाया जाता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना प. 16(1)(107)वि.क./एस.जे.इ.डी./2011/56534 दिनांक 21.07.11 के द्वारा राजस्थान निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) के नियम, 2011 के नाम से नये नियम जारी किये गये है। इन नियमों के जारी होने के साथ ही कार्मिक विभाग द्वारा जारी पूर्व प्रचलित राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.01.2012 (प्रभावी 26.07.11) द्वारा निरसित किये जा चुके है, परिणामस्वरुप निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण के रोस्टर बिन्दु 34, 67 एवं 100 भी स्वतः समाप्त हो चुके है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के जारी होने के उपरान्त भी राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा नियुक्ति प्रकिया में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में निःशक्तजन के लिए विहित प्रावधानों एवं नये रोस्टर बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निःशक्तजन की सीधी भर्ती की रिक्तियों को भरते समय राजस्थान निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) के नियम, 2011 में विहित प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार पालना सुनिश्चित करें।

(सुदर्शन सेठी) 16.7.2012
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी।
2 उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
3 सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग अजमेर।
4 पंजीयक, राज0 सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर।
5 रक्षित पत्रावली।

(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

30/2012